संख्या-188/2026/आई/1275461/23-1-26/001-23-1002(002)/196/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 22 मार्च, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 24 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 24 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 40,01,29,000/- (रूपये चालीस करोड़ एक लाख उन्तीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	19706/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	25-02-2026
2	19805/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	28-02-2026
3	19812/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	28-02-2026
4	19837/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	06-03-2026
5	19850/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	06-03-2026
6	19859/CE-HQ1/RSN5054/ALI/2025-26	06-03-2026
4	19900/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	10-03-2026
7	19915/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2025-26	10-03-2026
8	19925/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	10-03-2026
9	19930/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	10-03-2026
10	19961/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	12-03-2026
11	19962/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	12-03-2026
12	19995/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	13-03-2026
13	19999/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	13-03-2026
14	19706/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	25-02-2026

तालिका-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. वाराणसी	जनपद वाराणसी में दालमण्डी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	326/2025/आई/1041748/23-1-25/23-1002(002)/103/2025 दिनांक 30-07-2025-दिनांक-30-07-2025	21588.24 21588.24 1243.99 1.06 21587.18	800.00	20787.18	2000.00
2	प्रा.ख. वाराणसी	काजीसराय गैरहा मुर्दहा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	113 /2025/आई/891761 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025-पार्ट-1 दि. 25.02.2025-दिनांक-25-02-2025	2366.77 2366.77 614.19 361.14 2005.63	1327.53	678.10	200.00
3	नि.ख.-2 रायबरेली	पथरीगढ़ हाजीपुर घाटमपुर से सेखापुर सम्पर्क मार्ग के मध्य छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	477 /2025/आई/1121042/23-1-25/003-23-1002(002)/224/2025 दिनांक 17.10.2025 -दिनांक-17-10-2025	90.39 81.65 59.89 0.23 81.42	8.43	72.99	20.00
4	प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में हौज से लाइन बाजार, नईगंज होते हुए कोल्हनामऊ बाई-पास तक 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	159 /2025/आई/917550 /23-1-25/001-23-1002(002)/2/2025-दिनांक-26-03-2025	13903.99 13903.99 5137.20 7.80 13896.19	4290.43	9605.76	400.00
5	नि.ख. मेरठ	रघुनाथ मोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला से खानपुर सिवालखास जानी टीकरी रसूलपुर मढी होते हुए रोहटा तक (अजिमा) मार्ग के चैनेज 7.600 से 15.600 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025-दिनांक-10-02-2025	1114.95 1114.95 553.57 131.01 983.94	459.75	524.19	48.00
6	प्रा.ख. अलीगढ़	पिसावा गोठनी मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 4.150 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	433 /2025/आई/1107729/23-1-25/003-23-1002(002)/179/2025 दिनांक 03.10.2025 -दिनांक-03-10-2025	427.73 427.73 234.70 70.62 357.11	41.75	315.36	18.00
7	नि.ख. मेरठ	दौराला सरधना मार्ग के ग्राम मिलक से अटेरना वाया कुलॅजन (अन्य जिला मार्ग) मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	101 /2024/आई/520057 /23-1-24/001-23-1002(002)/66/2024 -दिनांक-14-03-2024	762.53 756.25 422.45 46.13 710.12	482.00	228.12	84.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
8	प्रा.ख. मेरठ	नया गांव मखदूमपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण का कार्य।	142/2021/87 रासनि/23-1-21-71 रासनि/20-दिनांक-21-06-2021	1647.50 1647.50 991.57 75.08 1572.42	884.72	687.70	243.60
9	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में दिल्ली यमुनौत्री मार्ग से आसिफपुर खडखडी होते हुए मुजफ्फरनगर बड़ौत बुढाना मार्ग के किमी 60 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	448 /2025/आई/1107889/23-1-25/003-23-1002(002)/184/2025 दिनांक 04.10.2025 -दिनांक-04-10-2025	625.59 625.59 366.48 68.96 556.63	61.13	495.50	80.00
10	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	गुलावटी आबादी (पुराना राष्ट्रीय राज्य मार्ग) के कि0मी0 1 से 6 (500) में दो लेन विद पेव्ड शोल्डर से चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	69/2024/आई/507064/23-1-24/001-23-1002(002)/46/2023 -दिनांक-28-02-2024	1494.79 1475.32 802.96 452.59 1022.73	638.00	384.73	153.89
11	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	एन0एच0-91 से सिकद्राबाद आबादी भाग (अन्य जिला मार्ग) के किमी 1 से 5 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	961.46 961.46 466.16 304.31 657.15	514.29	142.86	57.14
12	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	अलीगढ़ रामघाट (कल्याण सिंह मार्ग) प्रमुख जिला मार्ग-105) के चैनेज 40.000 से 44.000 तक मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	157 /2025/आई/917394 /23-1-25/001-23-1002(002)/42/2025- दिनांक-25-03-2025	9269.90 9269.90 3818.87 1152.00 8117.90	668.69	7449.21	57.24
13	प्रा.ख. बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में एन0एच0-91 बुलन्दशहर आबादी भाग के कि0मी 1 एवं 2(270) का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	750 /2024/आई/835973 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/198/2024 -दिनांक-28-12-2024	979.39 979.39 435.09 97.27 882.12	821.83	60.29	16.30
14	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में बबीना तालबेहट मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 1 से 7 में 1.5 लेन हेतु मार्ग में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	437 /2025/आई/1107763/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2025 दिनांक 04.10.2025 -दिनांक-04-10-2025	1520.40 1520.40 712.98 119.44 1400.96	148.82	1252.14	80.00
15	नि.ख.-1 बरेली	ऑवला से उसैता मार्ग (अ0जि0मा0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	426 /2025/आई/1107439/23-1-25/004-23-1002(002)/181/2025-दिनांक-03-10-2025	1186.76 1163.98 744.90 90.35 1073.63	116.22	957.41	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
16	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	औदापुर मोड़ से हटीपुर कुर्रिया गंगानगर शमशेरपुर गुमटा होते हुये मदनापुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	77 /2024/आई/510585 /23-1-24/001-23-1002(002)/49 /2024 -दिनांक-04-03-2024	370.52 339.06 269.16 0.00 339.06	296.48	42.58	2.44
17	नि.ख.-1 रायबरेली	दौलतपुर उड़वा का शेष भाग संपर्क मार्ग	479 /2025/आई/1120947/23-1-25/001-23-1002(002)/240/2025 दिनांक 17.10.2025 -दिनांक-17-10-2025	22.86 22.86 15.16 2.67 20.19	2.13	18.06	6.00
18	प्रा.ख. रायबरेली	अयासपुर सीही मार्ग से जरौला मार्ग के मध्य छूटी कड़ी का निर्माण कार्य।	482 /2025/आई/1121012/23-1-25/004-23-1002(002)/240/2025-दिनांक-17-10-2025	46.00 45.18 23.38 5.92 39.26	4.28	34.98	13.52
19	नि.ख. मेरठ	चाँद चैराहे से पीरपुर, दादरी, सलावा, आलगीरपुर, फरीदपुर होते हुये रार्धना पुल तक (अन्य जिला मार्ग) मार्ग को चैनेज 6.965 से 16.215 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	101 /2024/आई/520057 /23-1-24/001-23-1002(002)/66/2024 -दिनांक-14-03-2024	1499.00 1499.00 811.47 162.00 1337.00	1055.90	281.10	97.60
20	प्रा.ख. मेरठ	वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेरठ पौडी (एन0एच0-34) कसेरुखेडा नाले से मोदीपुरम एन0एच0-58 तक मार्ग वाया मीनाक्षीपुरम मामेपुर ललसाना एवं सीलकुन्ज कालोनी मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	750 /2024/आई/835973 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/198/2024 -दिनांक-28-12-2024	517.96 517.96 229.83 95.73 422.23	340.69	81.54	24.00
21	प्रा.ख. मेरठ	परतापुर गगोल तीर्थ चन्दसारा फंफूडा होते हुए मेरठ बदायूं मार्ग के चौनेज 12.330 कि0मी0 से 12.800 कि0मी0 तक चौड़ीकरण/सुदृढीकरण का कार्य।	751 /2024/आई/836025 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/224/2024 -दिनांक-28-12-2024	98.12 98.12 52.99 9.90 88.22	76.49	11.73	2.00
22	प्रा.ख. मेरठ	बातनौर गुडम्ब मार्ग से बुनायादपुरा (बिजलीघर गुडम्ब) मार्ग के नवनिर्माण/मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।	45/2025/आई/860052/23-1-25/007-23-1002(002)/256/2024-दिनांक-23-01-2025	59.88 59.88 33.37 8.00 51.88	37.29	14.59	5.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
23	प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में तियरा रतासी सिंगरामऊ (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	70 /2025/आई/867900 /23-1-25/001-23-1002(002)/248/2024-दिनांक-31-01-2025	2303.40 2303.40 1766.73 3.25 2300.15	1319.49	980.66	346.26
24	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	ग्राम परौर से बरके मई सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	89 /2024/आई/515262 /23-1-24/001-23-1002(002)/60/2024 -दिनांक-07-03-2024	180.02 171.93 126.11 14.53 157.40	71.55	85.85	25.70
						कुल योग-	**4001.29**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 40,01,29,000/- (रूपये चालीस करोड़ एक लाख उन्तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-188/2026/आई/1275461(1)/23-1-26/001-23-1002(002)/196/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in